

संख्या-184/2025/662 मु0मं0न0सु0यो0नौ-2-2025-ई-1690908

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 16 जनवरी, 2025

विषय:- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत सीमा विस्तारित/उच्चीकृत एवं नवसृजित निकायों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के पत्र संख्या-2966/सी0एम0यू0डी0/एस0ई0-1, दिनांक 28.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत अवशेष 82 निकायों में विद्युत अवस्थापना/सुदृढीकरण हेतु कराये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना के अनुरूप धनराशि रू0 251.43 करोड़ के डी0पी0आर0 निम्नानुसार उपलब्ध कराते हुए धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0सं0	डिस्कॉम	निकायों की संख्या	कुल कार्यों की संख्या	धनराशि (रू0 करोड़ में)
1.	पूर्वांचल	39	2227	143.09
2.	मध्यांचल	33	226	61.00
3.	दक्षिणांचल	8	212	22.39
4.	पश्चिमांचल	2	299	24.95
योग		82	2964	251.43

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत सीमा विस्तारित/उच्चीकृत एवं नवसृजित निकायों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत कुल 82 निकायों के कुल 2964 कार्यों (प्रति संलग्न) के लिए कुल धनराशि रू0 25143.00 लाख (रू0 दो अरब इक्यावन करोड़ तैंतालीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते कुल धनराशि रू0 8800.05 लाख (रू0 अट्ठासी करोड़ पाँच हजार मात्र) प्रथम किश्त में अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित तालिका/शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	नगरीय निकाय	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त में निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर पालिका परिषद।	7802.00	2730.70
2	नवसृजित नगर पंचायत।	7729.00	2705.15
3	सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर पंचायत।	9612.00	3364.20
योग		25143.00	8800.05

नियम व शर्तों/प्रतिबन्ध-

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं०-10-5002/125/2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की गार्डलान्स् के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
4. अवमुक्त की जा धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
6. कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का होगा।
7. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
8. प्रश्रगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
9. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय/ प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ की होगी तथा उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
10. प्रश्रगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
11. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
13. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
14. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
15. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्रगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
16. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यदिश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा बचत/शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
17. निर्गत की जा रही धनराशि से उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं०-1489/नौ-9-2022-84ज/22,

दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स (कार्यवार) एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

18. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं०-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिसासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु कराये जा रहे कार्य की जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।

19. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस निमित्त बनाये गये डैश बोर्ड पर अपलोड की जायेगी।

20. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रश्नगत धनराशि जिन कार्यों के लिये स्वीकृत की गयी है, वह उन्हीं कार्यों पर व्यय की जा रही है एवं कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से शासन को अवगत कराया जाये।

21. कार्य की द्विवरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो। इसे अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

22. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

23. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा निकायवार कार्य पूर्ण कराते हुए (प्रत्येक निकाय का नाम सहित) कराये गये कार्यों का विवरण (लागत सहित), निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षक: 2217801920300 (उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217801920300 उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	27,30,70,000.00 (रुपये सत्ताईस करोड़ तीस लाख सत्तर हजार मात्र)
	कुल			27,30,70,000.00 (रुपये सत्ताईस करोड़ तीस लाख सत्तर हजार मात्र)

लेखाशीर्षक: 2217801930300 (नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217801930300	35	27,05,15,000.00

		नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	(रुपये सत्ताईस करोड़ पाँच लाख पन्द्रह हजार मात्र)
	कुल			27,05,15,000.00 (रुपये सत्ताईस करोड़ पाँच लाख पन्द्रह हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217801930400 (उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217801930400 उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	33,64,20,000.00 (रुपये तैतीस करोड़ चौसठ लाख बीस हजार मात्र)
	कुल			33,64,20,000.00 (रुपये तैतीस करोड़ चौसठ लाख बीस हजार मात्र)

महायोग	88,00,05,000.00 (रुपये अट्ठासी करोड़ पाँच हजार मात्र)
---------------	---

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-9-385-X-2024-25-दिनांक: 13-01-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:-यथोक्त।

Signed by **भवदीय,**
Sanjay Kumar Tiwari
Date: 16-01-2025 15:56:43
(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या- 184(I)/2025/662-मु0मं0न0सू0यो0/9-2-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
- (4) अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (7) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (8) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (9) संबंधित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (10) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- (11) सहायक निदेशक, (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (12) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- (13) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- (14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।